न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व अपील संख्या :– 10/2015

अपीलार्थीगण :–

1. सुखीदेवी पुत्री गोपाराम पत्नि रूपाराम जाति माली निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर ।
2. हस्तुदेवी पुत्र गोपाराम पत्नि भींयाराम जाति माली निवासी पालासनी तहसील व जिला जोधपुर ।
3. कमलादेवी पुत्री गोपाराम पत्नि सोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. देवाराम पुत्र श्री गोपाराम के वारिशान –
1/1 फेंफीदेवी पत्नि स्व. देवाराम
1/2 दीपाराम पुत्र स्व. देवाराम
1/3 डूगंरराम उर्फ गुदड़राम पुत्र स्व. देवाराम
1/4 बन्शीलाल पुत्र स्व. देवाराम
1/5 छैनाराम पुत्र. स्व. देवाराम
1/6 बिरमराम पुत्र स्व. देवाराम
1/7 पप्पुराम पुत्र स्व. देवाराम
जातियान माली निवासीगण फाटकवाला बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर ।
2. मलाराम पुत्र गोपाराम फौत के कायम मुकाम –
2/1 गीता पत्नि मलाराम
2/2 प्रकाश पुत्र मलाराम
2/3 भगवानराम पुत्र मलाराम
2/4 सन्तोष पुत्री मलाराम
2/5 गुडी पुत्री मलाराम
2/6 किरण पुत्री मलाराम
2/7 सुमन पुत्री मलाराम
सभी जातियान माली निवासीगण फाटकवाला बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर ।
3. सायरी पुत्री गोपाराम के फौत के कायम मुकाम –
3/1 तीजादेवी पुत्री रामसुख
3/2 पतासी पुत्री रामसुख
3/3 सीतादेवी पुत्री रामसुख
3/4 गुटीदेवी पुत्री रामसुख
3/5 उंकारराम पुत्र रामसुख
3/6 मलाराम पुत्र रामसुख
सभी जातियान माली निवासीगण फाटकवाला बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर ।
4. भींयाराम पुत्र गोपाराम के वारिशान –
4/1 नेमाराम पुत्र भीयाराम
4/2 श्रवणराम पुत्र भीयाराम
4/3 श्यामलाल पुत्र भीयाराम
जातियान माली निवासी पीपाड़ शहर।
4/4 ढगलाई उर्फ मन्जु पुत्री स्व. भींयाराम पत्नि घनश्याम जी जाति माली निवासी भाणानाड़ा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर ।

उपखण्ड अधिकारी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

4/5 प्रेमराज पुत्र स्व.भीयाराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

5. अब्दुल सत्तार पुत्र मोहम्मद बिलाल जाति मुसलमान निवासी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 707 जो सरपंच ग्राम पंचायत बोयल द्वारा दिनांक..... को स्वीकार किया गया ।

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री संग्रामसिंह चौहान अपीलाथीगण की ओर से
श्री मोहम्मद फारूख रेस्पोडेन्टस की ओर से
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह रेस्पोडेन्ट्स की ओर से
श्री उदयसिंह कच्छावाह रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

निर्णय

दिनांक : 13.06.2019

वकील अपीलान्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स पेश की हैं कि सरपंच ने नामान्तरकरण जैर अपील मनमाने ढ़ग से स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है । विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 100, 101, 102, 103, 104, 105, कुल रकबा 97 बीघा 11 बिस्वा गांव बोयल पूर्व में गोपाराम पुत्र सांवलराम माली के खातेदारी की थी जिनका स्वर्गवास सन् 1982 में हो गया उनके स्वर्गवास के समय उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान उनके तीन पुत्र कमशः देवाराम, भींयाराम, व मलाराम तथा चार पुत्रीयां कमशः सायरीदेवी, सुखीदेवी, हस्तुदेवी, कमलादेवी थे जिन सभी को उपरोक्त भूमि में विरासत प्रत्येक को 1/7 हिस्सा अर्जित हुआ । परन्तु नामान्तरकरण स्वीकार करते समय केवल गोपाराम के तीन पुत्रो का ही नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया गया जबकि पुत्रीयों का भी नाम दर्ज किया जाना चाहिये था । ग्राम पंचायत ने उपरोक्त सभी वारिसान के बारे में बिना जांच किये ही गोपाराम पुत्र सांवलराम के पुत्रो के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया जबकि नामान्तरकरण जो स्व. गोपाराम के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान की ग्राम पंचायत ने कोई जांच नही की । इस प्रकार स्पष्ट है कि नामान्तरकरण जैर अपील उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हुए स्वीकार किया गया है जो निरस्त करने योग्य है । खातेदार श्री गोपाराम के स्वर्गवास पर उनके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानो को अधिकार प्राप्त हुए है । ग्राम पंचायत ने चार प्रथम श्रेणी वारिसानो को उनके जायज अधिकारो से वंचित करते हुए जो नामान्तरकरण स्दीकार किया है वह अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है । श्री गोपाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि पर आज दिन भी बहैसियत खातेदार के काबिज है व काश्त करती है । ग्राम पंचायत ने बिना मौके इत्यादि की जांच किये नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया जो निरस्त करने योग्य है । नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने केवल गोपाराम के पुत्रो का नाम दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण भर कर स्वीकृत हेतु पेश किया एवं अन्य प्रथमश्रेणी के वारिसान के बारे में जांच भी नही की गई । नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एवं

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

इसे स्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, एवं ग्राम पंचायत ने राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु लेण्ड रेकर्ड रूल्स की स्पष्ट अवहेलना की है इस कारण भी नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य है । ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थीगणो को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया एवं बाले बाले कार्यवाही करते हुए अपीलार्थीगणो को उनके जायज अधिकारो वंचित करते हुए नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया । नामान्तरकरण जैर अपील सं. 707 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राजो का फायदा उठाते हुए भीयाराम ने स्वयं को 1/3 भाग का खातेदार बताकर कागजी हस्तान्तरण कर दिया जबकी वह केवल 1/7 भाग का ही हस्तान्तरण कर सकता था । इस प्रकार उसके द्वारा किये गये हस्तान्तरण पत्र से केता रेस्पोडेन्ट सं. 05 केवल 1/7 हिस्से के ही अधिकारो का हस्तान्तरण हुआ है । इस कारण उसे इस अपील में बतौर रेस्पोडेंन्ट पक्षकार बनाया गया है । अन्य उजरात बरवक्त बहस एवं बाद देखने रेकर्ड माननीय न्यायालय की अनुमति से निवेदन कियो जावेंगे । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर स्व. श्री गोपाराम के सभी प्रथम श्रेणी वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें ।

अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम :–

नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नही दिया गया इस कारण इसके बारे में प्रार्थीगण को कोई जानकारी पूर्व में नही थी। प्रार्थीगण के भाई रेस्पोडेंन्ट सं. दो ने विवादग्रस्त भूमि के बेचान की योजना बनाई व प्रार्थी के पास एक लिखत लेकर आया व कहा कि इस पर प्रार्थीनी को दस्तखत करने पडेगे अन्यथा जमीन खरीदने वाला लेने से इंकार कर रहा है तो प्रार्थीनी से दस्तखत करने से इंकार किया व कहां कि अपने पिता की जमीन वह नही बेचने देगी तब अप्रार्थी ने कहा कि दस्तखत करने है तो करो अन्यथा वह कम कीमत पर जमीन बेचा देगा । प्रार्थीनी का तो नाम ही खाते में नही है । इस पर प्रार्थीनी ने पटवारी से दिनांक 05.08.2013 को जाकर रेकर्ड की जांव करवाई तो मालूम हुआ की प्रार्थीनी के पिता के स्वर्गवास पर नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थीगण का नाम दर्ज ही नही किया गया । जब प्रार्थीनी ने पटवारी से सम्बन्धित म्यूटेशन की नकल मांगी जो दिनांक 07.08.2013 को मिली जिसे पढ़ाने से ही प्रार्थीनी को इसकी प्रथम बार जानकारी हूई इससे पहले जानकारी नही थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है । अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त स्वीकार की जावें एवं अपील को अन्दर मियाद मानी जावें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्सगणो को नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट्स सं. 5 की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद फारूख खान ने व रेस्पोडेंट्स सं. 1/1 से 1/7 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश कच्छावाह व रेस्पोडेंट्स सं. 2/1 से 2/7 की ओर अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । रेस्पोडेंट्स सं. 3/1 से 3/6, 4/1 से 4/5 के सम्मन बाद तामील न्यायालय को प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । रेस्पोडेंट्स सं. 1/1 से 1/7 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

कच्छावाह व 2/1 से 2/7 की ओर से अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह एवं रेस्पाडेन्ट्स सं. 5 की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद फारूख खान की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया जाने उनका जवाब बन्द किया गया ।

हमने बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर एंव अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर स्व. श्री गोपाराम के सभी प्रथम श्रेणी वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है । इसी प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेट्सगण ने अपीलार्थीगण की अपील सारहीन, मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया है ।

हमने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध विवेचन एवं अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है । मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया है जिसको अन्दर म्याद शुमार किया जाता है क्योकि अपीलार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनके पीठ पीछे बिना सुनवाई के पारित/स्वीकृत नामान्तरकरण में मियाद का कोई महत्व नही है पुत्रीयां एवं पत्नि प्रथम श्रेणी के वारिस है उनको मनमाने ढग से छोड़ा नही जा सकता ऐसे एकपक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नही है । हमने नामान्तरकरण सं. 707 जो ग्राम बोयल द्वारा स्वीकृत किया गया है का अध्ययन किया गया । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार में माता, पुत्र, पुत्री, पत्नि, बराबर के हिस्सेदार है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं. 707 ग्राम बोयल खातेदार के उत्तराधिकारीयो की सही जांच किये बिना भरा गया है। अतः अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है । ग्राम पंचायत बोयल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 707 को खारिज कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार नये सिरे से खातेदार के उत्तराधिकारीयो की सम्पूर्ण जांच कर आदेश पारित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

13.6.19

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner